

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली विजन 2021 के अनुरूप दक्षता बढ़ाने, ग्राहकों की सुविधा में सुधार करने, आउटरीच का विस्तार करने और भुगतान प्रणालियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को जारी रखा। हालांकि कोविड-19 प्रेरित महामारी के वातावरण में साइबर सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित रहा और रिज़र्व बैंक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी अवसंरचना की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन और नए शुरू किए गए एप्लीकेशन्स को स्थिर करने की दिशा में भी प्रयास जारी रहे।

IX.1 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2021 दस्तावेज़ के अनुसार भुगतान प्रणालियों के योजनाबद्ध विकास की दिशा में अपने प्रयास को जारी रखा, अर्थात् इन प्रयासों में उपभोक्ताओं के अनुभव में वृद्धि, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स और सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाना, पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी अवसंरचना को सक्षम बनाना और जोखिम केंद्रित पर्यवेक्षण द्वारा समर्थित भविष्योन्मुखी विनियमन को लागू करना शामिल था। सीमा पार से भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने संबंधी वैश्विक जोर को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारत के तेज भुगतान प्रणाली- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अन्य अधिकार-क्षेत्रों में समान प्रणालियों के साथ जोड़ने की संभावना का भी पता लगाया और भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और जी20 समर्थित सीमा-पार भुगतान रोडमैप के कार्यान्वयन संबंधी वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) का फोकस कोविड-19 प्रेरित महामारी के वातावरण में रिज़र्व बैंक में आईसीटी बुनियादी अवसंरचना के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने पर रहा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और संरचनागत वित्तीय संदेश-प्रेषण समाधान (एसएफएमएस) की सुदृढ़ता को बढ़ाना, डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और सारथी एप्लिकेशन (यानी, रिज़र्व

बैंक में आंतरिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली) का स्थिरीकरण शामिल है।

IX.2 इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित खंड में वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में हुई गतिविधियां शामिल हैं और वर्ष 2021-22 के कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया गया है। खंड 3 में वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित कार्य-योजना की तुलना में वर्ष के दौरान डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया है। इन विभागों ने वर्ष 2022-23 का कार्य-योजना भी तय किया है। अध्याय का सारांश अंत में दिया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.3 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली विजन 2021 में चिन्हित किए गए परिणामों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उपभोक्ताओं के लिए इष्टतम लागत सुनिश्चित करने, ग्राहकों की सुविधा में सुधार करने और भुगतान प्रणालियों में विश्वास बढ़ाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच का विस्तार किया। आरटीजीएस की 24x7x365 उपलब्धता का लाभ उठाते हुए, यूपीआई, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी), राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस), और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) में अतिरिक्त निपटान शुरू किए गए थे तथा उन्हें सप्ताह के सभी दिनों के लिए परिचालनगत कर दिया गया था। सीमा पार से भुगतान व्यवस्था

बॉक्स IX.1

भारत और सिंगापुर अपनी तेज भुगतान प्रणाली - यूपीआई और पेनाऊ को लिंक करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक और मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) ने अपनी तेज भुगतान प्रणाली, यूपीआई और पेनाऊ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। इसके जुड़ जाने से दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ता एक-दूसरे के सिस्टम में शामिल हुए बिना तत्काल निधि अंतरित (विप्रेषण) करने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, यूपीआई के किसी उपयोगकर्ता को सिंगापुर में पेनाऊ उपयोगकर्ता को राशि अंतरित करने के लिए पेनाऊ सिस्टम का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, और यही इसके उलट भी होगा। यह सहबद्धता सिंगापुर में यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित भुगतान की सुविधा के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल, एनपीसीआई की एक सहायक कंपनी) और नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (सिंगापुर के एनईटीएस) के पूर्व के प्रयासों पर आधारित है। यह पहल भारत और अन्य देशों के बीच आवक विप्रेषण गुंजाइश की समीक्षा करने के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यूपीआई-पेनाऊ सहबद्धता भुगतान की सीमा-पार अंतर-परिचालन को बढ़ावा दे सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और विप्रेषण प्रवाह को आगे बढ़ा सकता है। सिंगापुर में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और छात्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर साल पर्याप्त (1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) आवक और जावक विप्रेषण हो सकता है। यूपीआई-पेनाऊ सहबद्धता भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार से भुगतान के लिए बुनियादी अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होने की उम्मीद है, और तीव्र, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करने की जी20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकता के साथ मेल खाता है। यह विप्रेषण की लागत को कम करके संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी 10.सी)¹ को पूरा करने में भी योगदान दे सकता है।

वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में सहबद्धता के परिचालनगत होने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई

को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत की तेज (खुदरा) भुगतान प्रणाली, यूपीआई, को अन्य अधिकार-क्षेत्रों में समान प्रणाली के साथ जोड़ने की संभावना का पता लगाया। भारत (यूपीआई) और सिंगापुर (पेनाऊ) के अंतःसंबंधन का काम चल रहा है (बॉक्स IX.1)।

भुगतान प्रणाली

IX.4 भुगतान प्रणाली² ने पिछले वर्ष में 26.7 प्रतिशत के विस्तार के अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान मात्रा के मामले में 63.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। मूल्य के संदर्भ में, विकास पिछले वर्ष में 13.4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 23.1 प्रतिशत था, जिसकी मुख्य वजह बड़े मूल्य भुगतान प्रणाली, यानी आरटीजीएस में मजबूत वृद्धि थी। गैर-नकद खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 99.3 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 98.8 प्रतिशत थी (सारणी IX.1)।

डिजिटल भुगतान

IX.5 भुगतान के डिजिटल तरीकों में, वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीजीएस का उपयोग करने वाले लेनदेन की संख्या में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। मूल्य के संदर्भ में, आरटीजीएस लेनदेन में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन में भी मात्रा और मूल्य में क्रमशः 30.6 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप बड़े मूल्य के कॉर्पोरेट लेनदेन में वृद्धि को दर्शाता है। मार्च 2022 के अंत तक, 239 सदस्यों के 1,56,740 आईएफएससी³ के माध्यम से आरटीजीएस सेवाएं उपलब्ध थी, जबकि एनईएफटी सेवाएं 227 सदस्य बैंकों के 1,60,428 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थी।

IX.6 वर्ष 2021-22 के दौरान, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान लेनदेन में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः

1. वर्ष 2030 तक, प्रवासी विप्रेषण की लेनदेन लागत को 3 प्रतिशत से कम करना और 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाले विप्रेषण की गुंजाइश को समाप्त करना।
2. कुल भुगतान के आंकड़ों में डिजिटल भुगतान और पेपर-आधारित लिखत शामिल हैं।
3. भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक टर्नओवर (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
ए. भुगतान प्रणाली						
सीसीआईएल संचालित प्रणालियां	36	28	33	1,341.50	1,619.43	2,068.73
बी. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट अंतरण - आरटीजीएस	1,507	1,592	2,078	1,311.56	1,056.00	1,286.58
खुदरा खंड						
2. क्रेडिट अंतरण	2,06,297	3,17,868	5,77,632	285.57	335.04	427.23
2.1 एईपीएस (राशि अंतरण)	10	11	10	0.005	0.01	0.01
2.2 एपीबीएस	16,747	14,373	12,298	0.99	1.11	1.33
2.3 ईसीएस जमा	18	0	0	0.05	0	0
2.4 आईएमपीएस	25,792	32,783	46,625	23.38	29.41	41.71
2.5 एनएसीएच जमा	11,100	16,465	18,730	10.37	12.17	12.77
2.6 एनईएफटी	27,445	30,928	40,407	229.46	251.31	287.25
2.7 यूपीआई	1,25,186	2,23,307	4,59,561	21.32	41.04	84.16
3. नामे अंतरण और प्रत्यक्ष नामे	6,027	10,457	12,222	6.06	8.66	10.38
3.1 भीम आधार पे	91	161	228	0.01	0.03	0.06
3.2 ईसीएस नामे	1	0	0	0	0	0
3.3 एनएसीएच नामे	5,842	9,646	10,788	6.04	8.62	10.31
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से लिंक)	93	650	1,207	0.002	0.01	0.02
4. कार्ड भुगतान	72,384	57,787	61,786	14.35	12.92	17.02
4.1 क्रेडिट कार्ड	21,773	17,641	22,399	7.31	6.30	9.72
4.2 डेबिट कार्ड	50,611	40,146	39,387	7.04	6.61	7.30
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	53,811	49,743	65,812	2.16	1.98	2.94
6. पेपर आधारित लिखत	10,414	6,704	6,999	78.25	56.27	66.50
कुल - खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	3,48,933	4,42,557	7,24,451	386.38	414.86	524.07
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	3,50,440	4,44,149	7,26,530	1,697.94	1,470.86	1,810.65
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	3,40,026	4,37,445	7,19,531	1,619.69	1,414.59	1,744.14

एपीबीएस: आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली, ईसीएस: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

टिप्पणी : 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार और रेपो लेनदेन की दोनों लेग्स और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन शामिल हैं।

3. कार्ड के आंकड़े बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर भुगतान लेनदेन और ऑनलाइन के लिए हैं।

4. संख्याओं को पूर्ण अंक बनाने के कारण कॉलम में दिये गए आंकड़े कुल संख्या से मेल नहीं खाएगा।

स्रोत: आरबीआई

27.0 प्रतिशत और 54.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। डेबिट कार्ड से होने वाले लेन-देन में मात्रा के लिहाज से 1.9 फीसदी की कमी आई, यद्यपि मूल्य के लिहाज से इसमें 10.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) ने मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 32.3 प्रतिशत और 48.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। डिजिटल भुगतान में वृद्धि का श्रेय स्वीकर्ता बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता में वृद्धि को दिया जा सकता है, जिसमें वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि देखी गई जो

भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) के परिचालनगत होने से लाभान्वित हो रहा था। बिक्री केन्द्रों (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या वर्ष के दौरान 28.6 प्रतिशत बढ़कर 60.7 लाख हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान विनियोजित भारत त्वरित प्रतिक्रिया (बीक्यूआर) कोड की संख्या 39.3 प्रतिशत बढ़कर 49.7 लाख हो गई। इसके अलावा, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या भी वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष के 2.39 लाख से बढ़कर 2.48 लाख हो गई।

IX.7 घरेलू खपत खर्च पर महामारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक दूरी मानदंडों (अल्बर और डाबर, 2020; जॉकर एवं अन्य, 2020) और सरकारों द्वारा राहत उपायों (टोह एवं ट्रान, 2020) के कारण डिजिटल भुगतान

की आदतों में महामारी-प्रेरित बदलाव होने का वैश्विक प्रमाण है (लियू एवं अन्य, 2020)। भारतीय संदर्भ में भी, नए उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल तरीका अपनाए जाने का प्रमुख कारण कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन था (बॉक्स IX.2)।

बॉक्स: IX.2

कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल भुगतान के संबंध में गृहस्थ की पसंद

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई, 2020) के प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा का अनुभवजन्य विश्लेषण महामारी के दौरान गृहस्थों की डिजिटल भुगतान की पसंद के बारे में उपयोगी दृष्टिकोणों को सामने लाता है (सारणी 1)। सर्वेक्षण में शामिल लगभग एक तिहाई गृहस्थों ने लॉकडाउन के दौरान पहली बार डिजिटल रूप से लेन-देन किया। जिन गृहस्थों के पास डिजिटल भुगतान का पूर्व अनुभव था, लेकिन उन्होंने उपयोग में कठिनाई, इंटरनेट की कमी, धोखाधड़ी, अधिक खर्च आदि जैसे कारणों से उन्हें छोड़ दिया था, उन्होंने महामारी के दौरान संभवतः फिर से अपनाया था। पहली बार इसे अपनाने में भुगतान विधियों के बारे में सामान्य जागरूकता के साथ-साथ औपचारिक शैक्षिक ज्ञान, विशेष रूप से निचले स्तरों पर भी, का योगदान था। बाद वाले की तुलना में पहले वाले का अधिक मजबूत प्रभाव है, जो यह दर्शाता है कि स्विच को प्रोत्साहित करने के लिए परिचित और सामयिक उपयोग पर्याप्त हैं। कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाले दीर्घकालिक लाभार्थियों द्वारा समय पर अपनी हकदारी के लिए डिजिटल अपनाए जाने की अधिक

संभावना थी। ऐसा करने में सक्षम बनाने में प्रमुख भूमिका डेबिट कार्ड और स्मार्टफोन के स्वामित्व की थी, जबकि बैंक मित्र और मोबाइल बैंकिंग ऐप तक पहुंच ने अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाई।

डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान के लिए स्मार्टफोन के वास्तविक उपयोग को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है (चार्ट 1)। अधिकांश नए उपयोगकर्ता मध्यम-आयु वर्ग और वृद्ध वर्ग से थे, जो यह दर्शाता है कि महामारी ने डिजिटल भुगतान में पीढ़ी के अंतर को "बलपूर्वक समाप्त" कर दिया। जहां 60 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाता ने कार्ड को तरजीह दिया, वहीं यूपीआई और मोबाइल वॉलेट युवा और मध्यम आयु वर्ग की आबादी के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। जिन पारिवारिक मुखिया के पास व्यक्तिगत रूप से स्मार्टफोन नहीं था, उनके भी परिवार के किसी सदस्य के पास स्मार्टफोन होने पर इसमें स्विच करने की संभावना थी। ऐसे डिजिटल रूप से सशक्त परिवार के सदस्यों के प्रमाण हैं जो बैंक मित्रों की तरह डिजिटल भुगतान को अपनाने में सक्षम बनाने का काम कर रहे थे।

सारणी 1: सारांशित लॉजिस्टिक रिग्रेशन परिणाम (आश्रित चर: "क्या आपने लॉकडाउन के बाद पहली बार डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल किया?")

चर	लॉजिट गुणांक	माध्य पर अत्यल्प प्रभाव
पहले डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल किया लेकिन बाद में बंद कर दिया	2.826*** (0.192)	0.458*** (0.0484)
जागरूकता का स्तर = 1 (निम्न)	2.357*** (0.615)	0.0334*** (0.00544)
जागरूकता का स्तर = 2 (मध्यम)	4.676*** (0.619)	0.277*** (0.0293)
जागरूकता का स्तर = 3 (उच्च)	4.608*** (0.615)	0.264*** (0.0228)
शिक्षा का स्तर	0.169** (0.0695)	0.0121** (0.00519)
लॉकडाउन से पहले और बाद में डीबीटी आधारित सरकारी सहायता प्राप्त की	2.601*** (0.324)	
स्मार्टफोन तक पहुंच	1.436*** (0.193)	0.0860*** (0.0122)
डेबिट कार्ड तक पहुंच	2.171*** (0.285)	0.106*** (0.0128)
बैंक मित्र तक पहुंच	0.474*** (0.113)	0.0327*** (0.00852)
मोबाइल बैंकिंग ऐप तक पहुंच	0.407*** (0.115)	0.0314*** (0.0101)
स्थिरांक	-9.609*** (0.794)	
मैकफैडेन का समायोजित आर ²	0.481	
निष्कर्ष	4,061	4,061

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

** : 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में मान मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

2. जागरूकता के स्तर हैं: 0 (जागरूक नहीं - आधार मामला), 1 (निम्न), 2 (मध्यम) और 3 (उच्च)।

3. शिक्षा के स्तर स्केल पर हैं: 1 (निरक्षर), 2 (प्राथमिक विद्यालय), 3 (उच्च विद्यालय), और 4 (स्नातक और ऊपर)।



4. साधनों पर अत्यल्प प्रभाव (एमईएम) अन्य प्रतिगामी के साथ एक विशेष प्रतिगामी का अत्यल्प प्रभाव है उनके माध्य मान पर निकाला गया।

5. बेसलाइन मॉडल की संभाव्य सटीकता का पता लगाने के लिए, डेटा को प्रशिक्षण और परीक्षण सेट (80:20) में विभाजित किया गया। मॉडल की वर्गीकरण सटीकता 87 प्रतिशत, संवेदनशीलता 89 प्रतिशत और विशिष्टता है 82 प्रतिशत है। कुक्स डिस्टेन्स के आधार पर प्रभावशाली विचलन कोई प्रमाण नहीं है।

(जारी)

स्रोत: सरॉय एवं अन्य, (2022)।

चार्ट 1: लॉकडाउन के बाद पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने पर डिजिटल साक्षरता का प्रभाव



सीआई: विश्वास अंतराल
स्रोत: सरॉय एवं अन्य (2022)

यदि भुगतान के बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि, अधिकाधिक व्यापारी के जुड़ने, धोखाधड़ी में कमी, डिजिटल भुगतान में अधिक ग्राहक विश्वास और इस तरह के भुगतान तरीके के उपयोग को और आसान बना देने जैसे अंतर्निहित समर्थक में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं तो महामारी प्रेरित 'डिजिटल अपनाओ' के स्थायी होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल के प्रति प्राथमिकताओं में हालिया बदलाव केवल एक अस्थायी उछाल नहीं है बल्कि यह एक स्थायी व्यवहारिक बदलाव है।

संदर्भ:

- एल्बर, एन., और एम. डाबर (2020), 'द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन फिनटेक एंड सोशल', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस*, 12(11), 109-109।
- जॉकर, एन., सी. वैन डेर क्रूजसेन, एम. बिजल्स्मा, डब्ल्यू. बोल्ट (2020), 'पैनडेमिक पेमेंट पैटर्न', *डीएनबी वर्किंग पेपर्स 701*, रिसर्च डिपार्टमेंट, *नीदरलैंड सेंट्रल बैंक*।

- लियू, टी., बी. पैन, और जेड यिन (2020), 'पैनडेमिक, मोबाइल पेमेंट, एंड हाउसहोल्ड कंजप्शन: माइक्रो एविडेंस फ्रॉम चाइना', *इमरजिंग मार्केट्स फ़ाइनेंस एंड ट्रेड*, 56(10), 2378-2389।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (2020), 'डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्शन इन इंडिया, 2020', एनपीसीआई- प्राइस रिपोर्ट।
- सरॉय, आर., एस. अवस्थी, एन.के. सिंह, एस. अदकी, और एस. ढल (2022), 'इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डिजिटल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स', *बुलेटिन ऑफ मोनेटरी इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग*, अंक 25, विशेषांक।
- टोह, वाई. एल., और टी. ट्रान (2020), 'हाउ द कोविड-19 पैनडेमिक मे रिशेप द डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप', *पेमेंट्स सिस्टम रिसर्च ब्रीफिंग*, 1-10, *फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ कैनसस सिटी*।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत किया जाना

IX.8 भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अलावा पीपीआई निर्गमकर्ता, सीमा पार मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस), व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीईएस), एटीएम नेटवर्क, त्वरित मुद्रा अंतरण सेवा, कार्ड पेमेंट नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) शामिल हैं (सारणी IX.2)।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

IX.9 विगत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- रिज़र्व बैंक, सदस्यता की समीक्षा करने सहित केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में गैर-बैंकों की भागीदारी बढ़ जाने से निपटान जोखिम प्रबंधन हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए चर्चा शुरू करेगा (पैराग्राफ IX.11);

**सारणी IX.2 : भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स का प्राधिकरण
(मार्च के अंत में)**

(संख्या)

संस्थाएं	2021	2022
1	2	3
ए. गैर-बैंक - प्राधिकृत		
पीपीआई निर्गमकर्ता	36	37
डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्स	4	4
त्वरित मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	8	9
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स	3	3
एमटीएसएस ऑपरेटर्स	9	9
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
बी. बैंक - स्वीकृत		
पीपीआई निर्गमकर्ता	56	57
बीबीपीओयू	42	43
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	566	648
एटीएम नेटवर्क	3	3
स्रोत: आरबीआई		

ग्राहक सुविधा में सुधार करना

- रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि ऑफलाइन भुगतान समाधान के लिए प्रायोगिक योजनाएं 31 मार्च 2021 तक संचालित की जाएंगी। इन पायलट योजनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर रिजर्व बैंक देश में ऑफलाइन भुगतान समाधान लागू करने का निर्णय करेगा (पैराग्राफ IX.12);
- रिजर्व बैंक के पास रखे गए कार्ड भुगतान नेटवर्क खातों के माध्यम से विभिन्न कार्ड भुगतान नेटवर्क द्वारा संसाधित कार्ड लेनदेन के निपटान की संभावना का रिजर्व बैंक पता लगाएगा। रिजर्व बैंक की बही में कार्ड लेनदेन के निपटान से कार्ड लेनदेन में विश्वास बढ़ेगा (पैराग्राफ IX.13);

किफ़ायती लागत सुनिश्चित करना

- रिजर्व बैंक उस भूमिका की जांच करेगा जो भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) कम लागत पर निर्बाध विप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए निभा सकते हैं, जिसमें कॉरिडोर की समीक्षा और आवक सीमा-पार विप्रेषण के लिए शुल्क शामिल हैं (पैराग्राफ IX.14);

ग्राहक के विश्वास को बढ़ाना

- रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक शाखाओं, एटीएम और कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के स्थान व्यापार व्यापार विवरण को अभिग्रहण करने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। पीओएस टर्मिनलों और अन्य भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने और रखने के लिए इसी तरह के फ्रेमवर्क का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है (पैराग्राफ IX.15);
- आउटसोर्सिंग व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति और सुरक्षा नियंत्रण की जरूरत एवं विनियमित संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिए एक अलग विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता की जांच करेगा, (पैराग्राफ IX. 16)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.10 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021' में, डीपीएसएस ने अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए चार गोल-पोस्ट यथा प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और विश्वास को चिन्हित किया था।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) की सदस्यता की समीक्षा

IX.11 रिजर्व बैंक ने सीपीएस (आरटीजीएस और एनईएफटी) तक पहुंच का विस्तार किया और प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसओ, जैसे पीपीआई निर्गमकर्ता, कार्ड नेटवर्क और डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्स को सीपीएस में प्रत्यक्ष सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी। गैर-बैंक पीएसओ को भी केंद्रीय बैंक के पास चालू खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। जुलाई 2021 में परिचालन और उपयोगकर्ता सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ पात्रता मानदंड, सदस्यता के प्रकार और

लेनदेन की प्रकृति को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ऐसी उम्मीद है कि सीधी पहुंच से भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जोखिम कम होगा और भुगतान करने / प्राप्त करने के लिए लागत एवं समय को कम करके, बैंकों पर निर्भरता को कम करके तथा भुगतान की निश्चयात्मकता में अनिश्चितता को समाप्त करके गैर-बैंकों को लाभ होगा क्योंकि निपटान केंद्रीय बैंक की मुद्रा में किया जाएगा।

ग्राहक सुविधा में सुधार करना

ऑफलाइन भुगतान समाधान

IX.12 ऑफलाइन डिजिटल लेनदेन को सक्षम करने वाले प्रौद्योगिकीय नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राधिकृत पीएसओ को अगस्त 2020 में कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके सामीप्य भुगतान के लिए प्रायोगिक योजना संचालित करने की अनुमति दी गई थी। प्राप्त अनुभव के आधार पर, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए फ्रेमवर्क 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। तदनुसार, प्राधिकृत पीएसओ और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (अधिग्रहणकर्ता और निर्गमकर्ता - बैंक और गैर-बैंक दोनों) को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी माध्यम या लिखत जैसे कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान चालू करने की अनुमति दी गई थी। इस पहल से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कार्ड योजनाओं के लिए राष्ट्रीय निपटान सेवाएं

IX.13 'सीपीसी तक गैर-बैंकों की पहुंच' विषय पर एक परिपत्र 28 जुलाई 2021 को जारी किया गया था, जिसमें 17 जनवरी 2017 के भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड संबंधी मास्टर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया था और कार्ड नेटवर्क सहित गैर-बैंक पीएसपी को सीधी पहुंच की अनुमति दी गई थी। इससे रिजर्व बैंक में कार्ड लेनदेन के निपटान में सुविधा होगी।

किफ़ायती लागत सुनिश्चित करना

आवक सीमा-पार विप्रेषणों के कॉरीडोर और प्रभार की समीक्षा

IX.14 रिजर्व बैंक विभिन्न देशों में बाहर सीमा-पार विप्रेषण के लिए यूपीआई के उपयोग पर काम कर रहा है। जहां विभिन्न देशों के साथ प्रयास विभिन्न चरणों में हैं, वहीं पेनाऊ के साथ यूपीआई को जोड़ने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है और वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में इसके परिचालनगत होने की उम्मीद है। अंतःसंबंधन दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और विप्रेषण प्रवाह को आगे बढ़ाएगा और सीमा-पार विप्रेषण की लागत को कम करेगा। यह किफ़ायती तरीके से तत्काल विप्रेषण प्राप्त करने के लिए संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के एक उदाहरण के रूप में भी काम आएगा।

विश्वास को बढ़ाना

भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग

IX.15 दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों संबंधी वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंक पीएसओ द्वारा विनियोजित भुगतान स्वीकार करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की जियो-टैगिंग के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की। जियो-टैगिंग से विभिन्न स्थानों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर के घनत्व की निगरानी करके डिजिटल भुगतान की क्षेत्रीय पहुँच के संबंध में जानकारी मिलने की उम्मीद है। यह अतिरिक्त भुगतान टच पॉइंट्स को विनियोजित करने और केंद्रित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों आयोजित करने की सुविधा के लिए नीतिगत मध्यक्षेप करने में मदद करेगा।

तृतीय पक्ष जोखिम प्रबंधन और सिस्टम-व्यापी सुरक्षा

IX.16 रिजर्व बैंक ने 3 अगस्त 2021 को "भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स द्वारा भुगतान की आउटसोर्सिंग और निपटान से संबंधित गतिविधियों के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर एक परिपत्र जारी किया। यह फ्रेमवर्क भुगतान की आउटसोर्सिंग और/या निपटान-संबंधी गतिविधियों (ग्राहकों को जोड़ने, आईटी आधारित सेवाओं, आदि जैसी अन्य प्रासंगिक गतिविधियों सहित) में जोखिमों के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक प्रदान करता है।

प्रमुख घटनाक्रम

ग्राहक सुविधा में सुधार करना

पीपीआई में वृद्धि

IX.17 अंतरपरिचालनीयता को अनिवार्य करना, पूर्ण-केवाईसी⁴ पीपीआई से नकद निकासी की अनुमति देना और पूर्ण-केवाईसी पीपीआई में अधिकतम शेष राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख करना, मई 2021 में पीपीआई को बढ़ाने की अनुमति थी।

भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी में इजाफा

IX.18 जुलाई 2021 में, बीबीपीएस में बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की अनुमति दी गई थी। बीबीपीएस के हिस्से के रूप में, मोबाइल प्रीपेड ग्राहक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शी ग्राहक सुविधा शुल्क और किसी भी समय, कहीं भी डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता से लाभान्वित होंगे।

भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि

IX.19 अक्टूबर 2021 में प्रति लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर ₹ 2 लाख करने और 12 विप्रेषणों की वार्षिक सीमा को हटाकर भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि की गई। इन संवर्द्धन से दोनों देशों के बीच व्यापार भुगतान को बढ़ावा मिलने और नेपाल में बसे/स्थानांतरित पूर्व सैनिकों को पेंशन भुगतान में आसानी होने की उम्मीद है।

सभी दिनों में एनएसीएच की उपलब्धता

IX.20 आरटीजीएस 24x7x365 की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए, एनएसीएच प्रणाली को 1 अगस्त 2021 से सप्ताहांत सहित सप्ताह के सभी दिनों में परिचालनगत कर दिया गया था। एनएसीएच बड़ी संख्या में लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के एक लोकप्रिय और प्रमुख डिजिटल मोड के रूप में उभरा है और कोविड-19 महामारी के दौरान समय पर तथा पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी के हस्तांतरण में मदद की है।

डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन - डिजीसाथी

IX.21 रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में, एनपीसीआई ने भुगतान उद्योग के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान के लिए एक केंद्रीकृत उद्योग-व्यापी 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना की, जिसका नाम डिजी साथी है। 24x7 हेल्पलाइन डिजिटल भुगतान के सभी पहलुओं के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी के बारे में स्वचालित प्रतिक्रियाएं हिंदी और अंग्रेजी में कई विकल्पों के माध्यम से उपलब्ध हैं जैसे - (ए) टोल-फ्री नंबर (1800-891-3333), (बी) एक शॉर्ट कोड (14431), (सी) वेबसाइट - www.digisaathi.info, और चैटबॉट्स डिजीसाथी वेबसाइट और चैटबॉट सुविधा के माध्यम से और टोल-फ्री कॉल के माध्यम से डिजिटल भुगतान संबंधी अपने प्रश्नों के साथ उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा, जहां उपयोगकर्ता उन विकल्पों / उत्पादों को डायल या कॉल कर सकता है जिनके लिए जानकारी की अपेक्षित है।

फीचर फ़ोनों के लिए यूपीआई - UPI123Pay

IX.22 UPI123Pay को रिजर्व बैंक द्वारा 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के दायरे में शामिल करने और उन्हें डिजिटल रूप से लेन-देन करने तथा यूपीआई सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। UPI123Pay फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान को करने के लिए चार अलग-अलग विकल्प प्रदान करता है, अर्थात्, (ए) इंटर-एक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), (बी) मिस्ड कॉल, (सी) ऐप-आधारित कार्यात्मकता, और (डी) सामीप्य ध्वनि-आधारित भुगतान।

आईएमपीएस लेन-देन की सीमा बढ़ाना

IX.23 आईएमपीएस एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है जो 24x7 त्वरित घरेलू फंड ट्रांसफर सुविधा प्रदान करती है और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, बैंक शाखाओं, एटीएम, एसएमएस और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम

4. अपने ग्राहक को जानिए।

(आईवीआरएस) जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुलभ है। घरेलू भुगतान लेनदेन संसाधन में आईएमपीएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एसएमएस और आईवीआरएस (₹5 हजार) के अलावा अन्य सभी चैनलों के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई। इससे डिजिटल भुगतान में और वृद्धि होगी और ग्राहकों को ₹2 लाख से अधिक डिजिटल भुगतान करने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी।

विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा में वृद्धि

IX.24 वित्तीय बाजारों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी बढ़ाने हेतु, उदाहरण के लिए, खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से सरकारी-प्रतिभूति खंड में निवेश, और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के अभिदान के भुगतान के लिए; इन श्रेणियों के लिए यूपीआई प्रणाली में लेनदेन की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

किफ़ायती लागत सुनिश्चित करना

स्वचालित टेलर मशीनों/नकद पुनर्चक्रण मशीनों का उपयोग - इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा

IX.25 मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अध्यक्षता में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति की सिफारिशों की जांच के बाद जून 2021 में एटीएम और नकद पुनर्चक्रण मशीनों पर लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा की गई। तदनुसार, वित्तीय लेनदेन के लिए ₹15 से बढ़ाकर ₹17 और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए ₹5 से बढ़ाकर ₹6 कर दिया गया था और प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क में यह मामूली वृद्धि 1 अगस्त 2021 से प्रभावी थी। नतीजतन, 1 जनवरी 2022 से मुफ्त लेनदेन के अलावा, प्रति लेनदेन ग्राहक प्रभार की सीमा को ₹20 से थोड़ा बढ़ाकर ₹21 कर दिया गया था।

भुगतान प्रणाली में प्रभार संबंधी चर्चा पत्र

IX.26 डिजिटल भुगतान प्राप्त करने/करने के लिए व्यापारियों और उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने लिए, 8 दिसंबर 2021 के विकासत्मक और विनियामकीय नीतियों संबंधी वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी

कि डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यमों में लगने वाले प्रभार से संबंधित सभी पहलुओं (सुविधा शुल्क और अधिभार सहित) को कवर करने वाला एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा।

विश्वास बढ़ाना

एफएटीएफ का अनुपालन नहीं करने वाले देशों के संस्थाओं में निवेश

IX.27 वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का अनुपालन नहीं करने वाले देशों से पीएसओ में निवेश के संबंध में जून 2021 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि ऐसे अधिकार क्षेत्रों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में निवेश के लिए समान निर्देशों के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके।

टोकनाइजेशन - कार्ड लेन-देन

IX.28 लैपटॉप, डेस्कटॉप, पहनने योग्य वस्तुओं (कलाई घड़ियां और बैंड) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों को शामिल करने के लिए डिवाइस-आधारित कार्ड टोकनाइजेशन संबंधी फ्रेमवर्क का अगस्त 2021 में विस्तार किया गया था। इसके अलावा, सितंबर 2021 में, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि 1 जुलाई 2022 से कार्ड जारीकर्ता और/या कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड लेनदेन/भुगतान शृंखला में कोई भी संस्था वास्तविक कार्ड डेटा को संग्रहीत नहीं करेगी, और पहले संग्रहीत ऐसे किसी भी डेटा को हटा दिया जाएगा।

अन्य पहल

सीपीएफआईआर - भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग (उत्कर्ष)

IX.29 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंक पीपीआई निर्गमकर्ताओं को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में शामिल करके रिज़र्व बैंक के केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) को की जाने वाली भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया था।

भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) [उत्कर्ष]

IX.30 पीआईडीएफ योजना वर्ष के दौरान पूरी तरह से परिचालनगत कर दिया गया था, और मार्च 2022 के अंत तक, योजना में अंशदान ₹798.94 करोड़ था। साथ ही, मार्च 2022 के अंत तक, पीआईडीएफ के तहत 94.77 लाख भुगतान स्वीकृति उपकरण तैनात किए गए थे। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर (श्री टी. रबी शंकर) की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद ने समग्र मार्गदर्शन प्रदान किया और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स *आत्मनिर्भर निधि* (पीएम एसवीएनिधि) योजना के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को टियर -1 और 2 केंद्रों में पीआईडीएफ योजना के लाभार्थियों के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी।

एनपीसीआई का निरीक्षण

IX.31 एनपीसीआई का निरीक्षण नवंबर 2021 में किया गया था। वित्तीय बाजार अवसंरचना (पीएफएमआई) के सिद्धांतों द्वारा संचालित निरीक्षण का दायरा एनपीसीआई द्वारा परिचालित विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के कार्यात्मक मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन फ्रेमवर्क, अभिशासन और निरीक्षण, कारोबार प्रभाव विश्लेषण, अनुपालन लेखापरीक्षा, सूचना और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट की अनुपालन स्थिति और प्राधिकार प्रमाण पत्र के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन तक ही सीमित था।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.32 रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत सीसीआईएल का ऑनसाइट निरीक्षण किया। सीसीआईएल का मूल्यांकन भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति - अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) द्वारा तैयार 24 पीएफएमआई के अनुरूप किया गया था। केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में, सीसीआईएल को 17 सिद्धांतों के लिए 'संप्रेक्षित' और तीन के लिए 'व्यापक रूप से संप्रेक्षित' का दर्जा दिया गया था, जबकि चार इसके लिए 'लागू नहीं' थे। ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) के रूप में, सीसीआईएल को 11 सिद्धांतों

के लिए 'संप्रेक्षित' का दर्जा दिया गया था, जबकि 13 को 'लागू नहीं' का दर्जा दिया गया था।

सीसीआईएल की गतिविधियां

IX.33 वर्ष के दौरान, सीसीआईएल कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अपने परिचालन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में सक्षम रहा। विभिन्न खंडों में जोखिम मार्जिन अवधि (एमपीओआर) को 5 दिनों तक बढ़ाकर, एक टेनर बकेट में प्रतिभूतियों के लिए न्यूनतम 1-दिवसीय जोखिम मूल्य (वीएआर) को ठीक करते हुए 95वीं प्रतिशतता करके और डिफॉल्ट फंड का मासिक संशोधन के लिए कार्यपद्धति में सुधार करके सीसीआईएल ने अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को दुरुस्त किया।

IX.34 आरटीजीएस 24x7 का लाभ उठाते हुए, सीसीआईएल ने विदेशी मुद्रा खंडों में समाशोधन और निपटान के लिए अंतिम समय को बढ़ा दिया। सीसीआईएल निपटान डेटा को 3 मई 2021 से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित भुगतान प्रणाली संबंधी दैनिक डेटा में शामिल किया गया था। सीसीआईएल द्वारा रिटर्न/विवरण प्रस्तुत करने को और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया था। सीसीआईएल ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए एग्रीगेटर और रिसीविंग ऑफिस के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा प्रदान करती है। सीसीआईएल की सहायक कंपनी लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) द्वारा मार्च 2022 में 45,000 से अधिक विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) जारी किया गया।

ई-बात कार्यक्रम

IX.35 रिज़र्व बैंक ग्राहकों/बैंकरों/छात्रों/जनता के लाभ के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न भुगतान प्रणालियों और उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना और संदेह को दूर करना है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 367 ई-बात कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.36 पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत, वर्ष के दौरान 46 खुदरा संस्थाओं, अर्थात 30 पीपीआई निर्गमकर्ता, 4 डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों, 8 बीबीपीओयू, 3 टीआरडीडीएस प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों और 1 एटीएम नेटवर्क का निरीक्षण किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्य-योजना

IX.37 वर्ष 2022-23 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- **भुगतान प्रणाली विजन 2025 दस्तावेज तैयार करना और जारी करना:** विजन 2021 में इच्छित परिणामों की उपलब्धि और चिन्हित की गई कार्रवाइयों को पूर्ण करने के साथ ही रिजर्व बैंक आने वाले वर्षों में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के अपने विजन को प्रकाशित करेगा ताकि भुगतान परिदृश्य का निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके;
- **भुगतान डैशबोर्ड का प्रकाशन:** उपभोक्ता के अनुभव में सुधार करने और भुगतान प्रवृत्तियों में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली में प्रवृत्तियों के चित्रमय प्रस्तुति के साथ एक भुगतान डैशबोर्ड प्रकाशित करेगा; और
- **भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की जियो-टैगिंग फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन:** 8 अक्टूबर 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों संबंधी वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने जियो-टैगिंग भुगतान टच पॉइंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क निर्धारित किया है और इस फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.38 वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का फोकस कोविड-19 प्रेरित महामारी के माहौल में रिजर्व बैंक में आईसीटी

बुनियादी अवसंरचना के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने पर रहा। कोविड-19 महामारी की ठीक शुरुआत में विभाग द्वारा सृजित बायो-बबल ने देश की भुगतान प्रणालियों, वित्तीय बाजार संचालन, दूसरी चीजों के बीच रिजर्व बैंक में आंतरिक आईसीटी सुविधाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हुए महामारी की क्रमिक लहरों को झेला।

IX.39 वर्ष के दौरान, यद्यपि रिजर्व बैंक में आईसीटी बुनियादी अवसंरचना की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक कोविड-19 प्रेरित महामारी के वातावरण में साइबर सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया गया, तथापि विभाग ने बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन और नए शुरू किए गए एप्लीकेशन्स को स्थिर करने की दिशा में भी अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों में आरटीजीएस और एसएफएमएस की सुदृढ़ता को बढ़ाना, डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और सारथी एप्लिकेशन का स्थिरीकरण शामिल है।

प्रमुख पहल

आरटीजीएस की सुदृढ़ता में सुधार

IX.40 भारत की भुगतान प्रणालियों में निरंतर सुधार के लिए एक सतत रणनीति के रूप में, आरटीजीएस करने वाले अंतर्निहित बुनियादी अवसंरचना में उन्नयन किया गया है, जो संदेश प्रवाह, इसके समाधान और सभी साइटों पर प्रतिकृति को सुगम बनाता है। यह आरटीजीएस प्रणाली में चल रहे सुधारों के साथ मिलकर सिस्टम रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव (आरटीओ) को कम करने और सुदृढ़ता में और सुधार करने में मदद करेगा।

नई उन्नत फ़ायरवॉल और नेटवर्क डेटा प्रवाह निगरानी

IX.41 नया उन्नत फ़ायरवॉल समाधान, जिसे पूरे रिजर्व बैंक में लागू किया जा रहा है, रिजर्व बैंक की आईटी अवसंरचना की बढ़ती जरूरतों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुसज्जित उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है। सामग्री डिसार्म और पुनर्निर्माण सुविधा नेटवर्क ट्रैफ़िक के लिए समर्पित फ़ाइल स्कैनिंग प्रदान करता है।

IX.42 नेटवर्क डेटा प्रवाह निगरानी समाधान मैलवेयर के लिए एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक संबंधी विश्लेषण के माध्यम से उच्च दृश्यता और सुरक्षा के साथ आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। समाधान का सुरक्षा विश्लेषण सुरक्षा अनुपालन अंतराल, फोरेंसिक जांच में सहायता, खतरे की चेतावनी और आकस्मिक प्रतिक्रिया की पहचान करने में मदद करता है।

डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन

IX.43 रिजर्व बैंक ने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अपने मौजूदा डेटा केंद्रों के गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना का पुनर्बुनियादी किया। सभी गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना को 24x365 महत्वपूर्ण परिचालनों के लाइव रनिंग वातावरण में बदला/उन्नत किया गया था। दो डेटा केंद्रों पर काम पूरा कर लिया गया है और एक डेटा केंद्र में पूरा होने के अंतिम चरण में है। परियोजना के लिए प्रमुख प्रभावकारी कारक इष्टतम क्षमता योजना और ऊर्जा दक्षता था जिसमें डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन शामिल है। इस उपाय से डेटा केंद्रों की परिचालन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

एसएफएमएस की सुदृढ़ता/दक्षता बढ़ाना

IX.44 एसएफएमएस, एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों के लिए उपयोग की जाने वाली मैसेजिंग प्रणाली को स्वचालित तरीके से कार्यों का समर्थन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक और 200 से अधिक सदस्य बैंकों में चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। समाधान, परिष्कृत समाधान और दोहरे प्रमाणपत्र समर्थन जैसी सुविधाएँ पहले से ही लागू हैं। उन्नत एसएफएमएस भविष्य की आवश्यकताओं, जैसे उच्च उपलब्धता, मापनीयता, अधिक सुरक्षा, प्रदर्शन और सुदृढ़ता का ख्याल रखेगा।

कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) के लिए रिजर्व बैंक एग्रीगेटर के रूप में

IX.45 यह पहल प्रत्यक्ष कर लेखन प्रणाली (प्रकल्प) के कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली को केंद्रीय

प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करने की है। ई-कुबेर में काम पूरा हो चुका है और कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

सारथी एप्लिकेशन का स्थिरीकरण

IX.46 रिजर्व बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए कागज़ के न्यूनतम उपयोग संबंधी समाधान, हेतु सारथी, को 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, और वर्ष के दौरान नई कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने तथा एप्लिकेशन की सुविधाओं एवं कार्यात्मकताओं को बढ़ाने के साथ-साथ बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, एप्लिकेशन को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) को कवर करते हुए व्यापक उपयोगकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन उपयोग की निरंतर निगरानी की जा रही है और एप्लिकेशन की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन सुरक्षा संबंधी उपायों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

हाइब्रिड भुगतान प्रणाली

IX.47 एक कुशल भुगतान प्रणाली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। रिजर्व बैंक पिछले चार दशकों से देश में भुगतान प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आज, भारत एक जीवंत, कुशल और सुरक्षित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र होने का दावा कर सकता है। चौबीसों घंटे एनईएफटी और आरटीजीएस की उपलब्धता ने देश में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है। वर्तमान में, भुगतान प्रणाली या तो सकल निपटान या निवल निपटान पर आधारित हैं, इसलिए, सकल और निवल निपटान दोनों में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली रखने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

IX.48 पिछले वर्ष विभाग ने उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- **अगली पीढ़ी का डेटा केंद्र:** अगली पीढ़ी के डेटा केंद्र की व्यवहार्यता की जांच और आने वाले वर्षों के लिए रिज़र्व बैंक के आईसीटी रोडमैप को पूरा करने हेतु विस्तृत प्रोटोटाइप योजना तैयार करना (पैराग्राफ IX.49 – IX.50)
- **डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन:** अपने मौजूदा डेटा केंद्रों में गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना पुनरोद्धार का कार्य चल रहा है। इष्टतम क्षमता योजना और ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए प्रमुख प्रेरक कारक हैं, जिसमें डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है (पैराग्राफ IX.51); और
- **अगली पीढ़ी के ई-कुबेर का कार्यान्वयन:** सरकार, बैंकों और अन्य बाजार सहभागियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ/के लिए ई-कुबेर रिज़र्व बैंक की प्रमुख वित्तीय सेवाओं और परिचालन का कार्य कर रहा है। प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा रहा है और प्रक्रियाओं के उन्नत स्वचालन, बाहरी और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण की लचीलापन, परिवर्तन प्रबंधन में आसानी, परिष्कृत मॉड्यूलरिटी, व्यापक रीयल टाइम डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, उत्पादकता में वृद्धि और मजबूत नियंत्रण के लिए प्रारंभिक सुधार की सुविधा प्रदान करेगा (पैराग्राफ IX.52)।

कार्यान्वयन की स्थिति

अगली पीढ़ी का डेटा केंद्र

IX.49 रिज़र्व बैंक लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य की जरूरत

को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, क्षेत्र विशिष्ट जोखिम से बचने और महत्वपूर्ण डेटा केंद्र जनशक्ति को रखने के लिए एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा केंद्र का निर्माण करेगा। नए डेटा केंद्र में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों और बैंकिंग क्षेत्र की उन्नत प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र' भी रहेगा।

IX.50 नए डेटा केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। रिज़र्व बैंक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में है।

डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन

IX.51 दो डेटा केंद्रों पर काम पूरा कर लिया गया है, और शेष डेटा केंद्रों में पूरा होने के अंतिम चरण में है।

अगली पीढ़ी के ई-कुबेर का कार्यान्वयन

IX.52 विभिन्न हितधारकों के साथ/उनके लिए रिज़र्व बैंक की प्रमुख वित्तीय सेवाओं मुहैया कराने और परिचालन को सुगम बनाने वाली ई-कुबेर प्रणाली के उन्नयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

वर्ष 2022-23 की कार्य-योजना

IX.53 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- **रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) नियमित और दोहराव वाले कार्यों के स्वचालन के लिए समाधान:** आरपीए को आईटी इंजीनियरों के सहयोग के बिना बॉट्स द्वारा दोहराए जाने वाले और मैन्युअल कार्यों जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, रिपोर्ट तैयार करने, मिलान से संबंधित मुद्दों और दोष निवारण गतिविधियों के स्वचालन की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग हो। यह मानवीय त्रुटियों को कम करने और रिज़र्व बैंक में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक दक्षता और उत्पादकता लाने में मदद करेगा;

- उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए बेहतर इंटरफेस और उसे अपनाना: विभाग उपयोगकर्ता के अनुभव और एप्लीकेशन्स को अपनाने में सुधार के लिए नवीनतम सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों को अपनाकर आंतरिक एप्लिकेशन के यूजर इंटरफेस को बेहतर करेगा। उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन तथा संरक्षित और सुरक्षित तरीके से निरंतर पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा;
- अगली पीढ़ी का ई-कुबेर: ई-कुबेर को व्यापक लचीलेपन और स्थिरता के साथ नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर अगली पीढ़ी में उन्नयन किया जाएगा। उन्नत प्रणाली में व्यापक रीयल टाइम डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव, मापनीयता, सुदृढ़ता, सुव्यवस्थित सरल प्रक्रिया, बाह्य और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण में आसानी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रारंभिक सुधार, मजबूत नियंत्रण और एकीकृत सुरक्षा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म जैसी कार्यात्मकताएं होंगी;
- एनईएफटी को वैश्विक मैसेजिंग मानकों के अनुरूप बनाना: भुगतान उद्योग समय के साथ विकसित हुआ है और विभिन्न व्यवसाय संचालक जैसे डेटा प्रचुरता, भुगतान नोड्स में मानकीकरण, अनुपालन, गहन रिपोर्टिंग और संबंधित अपेक्षाएं लगातार बदलाव की जरूरत को बढ़ावा दे रहे रही हैं। आईएसओ 20022 भुगतान संदेश भेजने के लिए वैश्विक और सर्वविदित मानक है। आरटीजीएस प्रणाली पहले से ही आईएसओ 20022 पर आधारित है। रिजर्व बैंक अपनी एनईएफटी प्रणाली को भी इस वैश्विक संदेश मानक के अनुरूप बनाने का प्रयास करेगा। आईएसओ 20022 को अपनाने से संरचित और ग्रेन्यूलर डेटा, बेहतर विश्लेषण, एंड-टू-एंड ऑटोमेशन और बेहतर वैश्विक सामंजस्य उपलब्ध होगा। यह आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच अंतरपरिचालनीयता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा (उत्कर्ष);
- आईटी और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन: रिजर्व बैंक अपने आईटी सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर का लगातार मूल्यांकन और उन्नयन करने का प्रयास करता है ताकि आकस्मिक खतरों से निपटने की अपनी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके तथा अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की रक्षा की जा सके, जो महत्वपूर्ण भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। इस प्रयास में, रिजर्व बैंक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) प्रौद्योगिकियों को नवीन क्षमताओं और सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, स्वचालन और प्रतिक्रिया, उपयोगकर्ता इकाई व्यवहार विश्लेषण, विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया जैसी अतिरिक्त प्रगति के साथ उन्नत करेगा; और
- एंटरप्राइज डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र: रिजर्व बैंक वर्ष 2022-23 के दौरान एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए आवश्यक भूमि ले ली गई है। डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर रिजर्व बैंक की आंतरिक जरूरतों को पूरा करेगा, और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का भी संचालन करेगा जो देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा।

4. निष्कर्ष

IX.54 रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2021 दस्तावेज़ में की गयी परिकल्पना के अनुरूप रिजर्व बैंक ने देश में न्यूनतम नकद का उपयोग करने वाले समाज के निर्माण के लिए अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली विकसित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा, साथ ही दक्षता बढ़ाने, ग्राहक सुविधा में सुधार, लोकसंपर्क का विस्तार और भुगतान प्रणालियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

सीमा पार से भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने पर वैश्विक फोकस को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने सिंगापुर के पेनाऊ के साथ भारत की तेज भुगतान प्रणाली यूपीआई को जोड़ने की संभावना का भी पता लगाया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों में आरटीजीएस और एसएफएमएस की सुदृढ़ता को बढ़ाना, डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और *सारथी* एप्लिकेशन का स्थिरीकरण

शामिल है। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान देगा:- भुगतान प्रणाली विजन दस्तावेज़ 2025 जारी करना; भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की जीओ-टैगिंग के फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन; एनईएफटी को वैश्विक संदेश मानकों के अनुरूप बनाना; आईटी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना; एंटरप्राइज डेटा सेंटर एवं एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।